27/01/21 वकील प्रार्थी उपस्थित, राज पैरोकार उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण की ओर से रेकार्ड दुरुस्ती, खाता विभाजन के अन्तर्गत वाद सं० 167/2011 पत्रावली की अन्तिम स्टेज पर विचाराधीन स्थिति में थी लेकिन उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर महो० द्वारा सरदारशहर कैम्प नारीपुर में दिनांक 10.05.2016 को अधिवक्ता पतराम मेघवाल द्वारा प्रार्थीगण के हस्ताक्षर करवाकर दावा विड्रा कर लिया गया जबकि इससे पूर्व में दिनांक 06.08.2013 को पत्रावली में बहस सुनी जाकर दिनांक 12.08.13 को निर्णय में नियत की गई दिनांक 12.08.13 को कार्य स्थगन, आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.08.13 को P.O साहब की नाराजगी होने एवं फिर आगामी तारीख पेशी पर निर्णय में चलते-चलते सहवन से अधिवक्ता ने विड्रा का प्रार्थना पत्र पेश किया जिससे कारण विड्रा का आदेश पारित किया गया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस [illegible] कि यदि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र [illegible] नहीं हुआ तो प्रार्थीगण द्वारा [illegible] में की गई कार्यवाही व्यर्थ हो जायेगी एवं अपार क्षति होगी क्या साथ ही काफी बर्बाद होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.26 13:29:09 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए

साथ ही वकील प्रार्थी ने न्यायालय हाजा को जानकारी दी की मजुवानी प्रकरण में प्रार्थीगण -वादीगण द्वारा वाद डिक्री होने के उपरान्त किसी भी न्यायालय में अपील या कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है, इसलिए प्रकरण में आदेश 47 धारा 114 के तहत पुनर्विलोकन आदेश जारी करवाने का प्रार्थी कानूनन अधिकारी है।

इस प्रकार वकील प्रार्थीगण इस पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का आग्रह इस आशय से किया है कि जब पत्रावली अन्तिम स्तेज पर है तो क्यों न बहस उपरान्त गुणावगुण के आधार पर ही वाद का निर्णय किया जावे अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दावा सं० 167/2011 मजुवानी "मनीराम बोहरा बनाम राजस्थान सरकार" में पारित निर्णय दिनांक 10.05.16 का पुनर्विलोकन किया जाकर एवं निर्णय दिनांक 10.05.16 को अपास्त कर पत्रावली पुनः बापदा नम्बर पर ली जाकर प्रार्थीगण को सुनवाई करते हुए बहस उपरान्त गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जावे।

दौराने बहस राज्य सरकार ने जवाब प्रार्थना [illegible] दोहराते हुए [illegible] पत्र हाजा को [illegible] कानूनी है एवं इसमें राज्य हित निहित नहीं है।

[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.26 13:29:09 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं उभय पक्षकारान द्वारा दौराने बहस में दिये गये तर्कों पर मनन किया गया। जिससे यह सामने आया कि प्रार्थीगण द्वारा विड्रा दावा दिनांक 10-05-16 को प्रार्थीगण के अधिवक्ता पतराम मेघवाल के प्रार्थना पत्र ही किया गया और यह भी सत्य है उस समय पत्रावली में बहस सुनी जाकर निर्णय में ~~[illegible]~~ पत्रावली आ चुकी थी, विड्रा के समय बहस भांति अन्तिम स्टेज पर थी।	
	प्रार्थीगण के वकील की [illegible] प्रार्थीगण की इच्छा पर ही विड्रा किया गया था, लेकिन पत्रावली में चाहा गया अनुतोष प्रार्थीगण-वादीगण को प्राप्त नहीं हुआ तथा पत्रावली को बहस तक लाने में प्रार्थीगण द्वारा की गई कार्यवाही, समय व पैसा बर्बाद होगा यह बात तर्क संगत प्रतीत होती है। पत्रावली जब एक बार निर्णय की स्टेज पर पहुंच चुकी थी तब गुणावगुण के आधार पर ही निर्णय सही व सुसंगत होता।	
	अतः वर्णित विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण [illegible] निर्णय दिनांक 10-05-[illegible] करते एवं प्रार्थीगण के दावा [illegible] को पुनः अपने नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसला अनुसार मूल नम्बर से दर्ज की हो। पत्रावली तरतीब तकमील जाना आर्किस रफा दफा हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.26 13:29:09 IST
Reason: SelfAttested